TO BE PUBLISHED IN THE EXTRAORDINARY ISSUE OF THE OFFICIAL GAZETTE OF THE STATE OF UTTARAKHAND DATED 17TH MARCH, 2015.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 17th March, 2015 26 Phalguna, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/UKD-LA/1/2015: WHEREAS, the seat of Shri Surendra Rakesh, in the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand, elected from 28-Bhagwanpur (SC) Assembly Constituency, has become vacant on 7th February, 2015, by reason of his death; and

- WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. **NOW, THEREFORE,** in pursuance of sub-section (1) & (2) of section 150, and section 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: –
- (A) Calls upon the said 28-Bhagwanpur (SC) Assembly Constituency in the State of Uttarakhand, to elect, before the 18th April, 2015 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Castes of the State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election, -
- (a) the 24th March, 2015 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 25th March, 2015 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 27th March, 2015 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 11th April, 2015 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 18th April, 2015 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) Fixes the hours from 8.00 AM to 5.00 PM, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

(SHANGARA RAM) SENIOR PRINCIPAL SECRETARY ELECTION COMMISSIONOF INDIA उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में 17 मार्च, 2015 को प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 17 मार्च, 2015 २६ फाल्गुन, १९३६ (शक)

अधिसूचना

सं० १०० / उत्तरा०-वि०स० / १ / २०१५ : - यतः, उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा में, उस राज्य के 28—भगवानपुर (अ0जाo) विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र से निर्वाचित, श्री सुरेन्द्र राकेश का स्थान, उनकी मृत्यु होने के परिणामस्वरूप 7 फरवरी. 2015 को रिक्त हो गया है :, और

- यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है:
- अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और (2) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में,भारत निर्वाचन आयोग, एतदद्वारा :--
- उत्तराखण्ड राज्य में 28-मगवानपुर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 18 अप्रैल, 2015 (शनिवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उस राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उस राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दे:,
- उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में --(3II)

24 मार्च, 2015 (मंगलवार)
. 25 मार्च, 2015 (बुधवार)
27 मार्च, 2015 (शुक्रवार)
11 अप्रैल, 2015 (शनिवार)
18 अप्रैल, 2015 (शनिवार)

(ま) 8.00 बजे पूर्वाहन से 5.00 बजे अपराहन तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

> आदेश से, 211121215 (शंगारा राम) वरेष्ठ प्रधान सचिव भारत निर्वाचन आयोग